

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

आदेश

श्री बिजेन्द्र पासवान, वर्तमान मुखिया, पंचायत-कोसूत, प्रखण्ड-धनरुआ, पटना द्वारा श्रीमती कुमारी अनामिका, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सम्पतचक के विरुद्ध समर्पित परिवाद में कामगार श्री विनोद बिन्द का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत कर मृत्यु लाभ का भुगतान किये जाने की शिद्दयत की गई है। उक्त के संबंध में संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कामगार श्री विनोद बिन्द जीवित पाये गये हैं।

2. उक्त के आलोक में श्रमायुक्त कार्यालय पत्रांक-5394, दिनांक-10.09.2026 द्वारा श्रीमती अनामिका से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्रीमती कुमारी अनामिका द्वारा कार्यालय पत्रांक-118, दिनांक-15.09.2026 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है।

3. श्रीमती कुमारी अनामिका का स्पष्टीकरण अंसतोषजनक पाया गया एवं उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त भी श्रीमती कुमारी अनामिका के विरुद्ध गंभीर आरोपों संबंधी एकाधिक परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनके संबंध में अलग से कार्रवाई की जा रही है।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए श्रीमती कुमारी अनामिका, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सम्पतचक, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी अनामिका का मुख्यालय श्रम अधीक्षक कार्यालय, भोजपुर, आरा निर्धारित किया जाता है।

6. निलम्बन अवधि में श्रीमती कुमारी अनामिका को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. श्रीमती कुमारी अनामिका को आदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अपने निर्धारित मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगी।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-131/2026 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार

ई-मेल/
स्प्रीड पोस्ट

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-131/2026 श्र०सं०-5668 पटना, दिनांक- 22/9/26

प्रतिलिपि:- उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा/श्रीमती कुमारी अनामिका, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (सम्प्रति निलंबित), सम्पतचक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(i) आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) उप श्रमायुक्त, पटना को निदेश है कि इस आदेश का तामिला श्रीमती कुमारी अनामिका को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगे।

4 22/9/26
श्रमायुक्त, बिहार